

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या – 807 / 2023

अनवान : –

1. रूपराम पुत्र कृष्णलाल जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. मनीराम पुत्र ख्यालीराम जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. मांगीलाल पुत्र रणजीत जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. रविकान्त पुत्र इन्द्राजरराम जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. मुकेश कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. विवेक पुत्र सुरेन्द्र जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. संदीप कुमार पुत्र देवेन्द्र पुत्र ख्यालीराम जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
7. मोहित स्वामी पुत्र देवेन्द्र पुत्र ख्यालीराम जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त०
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 27/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रोही मौजा 1 आरएमजी जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 9/8 के कुल खसरे 45 का कुल क्षेत्रफल 8.096 है० में से 5/16 हिस्सा व रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 11/11 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 8.096 है० भूमि में से 37949/80960 हिस्सा भूमि वादी के दादा ख्याली पुत्र जगराम के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 84/77 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 8.1840 है० भूमि में से 17/44 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा रोही मौजा 1 आरएमजी जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 9/8 के कुल खसरे 45 का कुल क्षेत्रफल 8.096 है० में से 5/16 हिस्सा व रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 11/11 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 8.096 है० भूमि में से 37949/80960 हिस्सा भूमि जो कि ख्यालीराम पुत्र जगराम ने अपने नाम दर्ज भूमि में से 5/6 हिस्सा भूमि अपने पौत्रो मुकेश पुत्र रामचन्द्र,

मांगीलाल पुत्र रणजीत, विवेक पुत्र सुरेन्द्र कुमार, रविकान्त पुत्र इन्द्राजराम व रूपराम पुत्र कृष्णलाल के ब0 हि0 ब0 जरिये दानपत्र दिनांक 08.02.2023 को तहरीर करवा दिया था व शेष 1/6 हिस्सा भूमि अपने दो पौत्रों संदीप कुमार व मोहित स्वामी पुत्रगण देवेन्द्र सिंह के ब0 हि0 ब0 जरिये दानपत्र दिनांक 08.02.2023 को तहरीर करवा दिया था जिससे ख्यालीराम पुत्र जगराम का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 उपरोक्त भूमि में ब0 हि0 ब0 5/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हो चुके हैं एवं 1/6 हिस्सा भूमि के प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार हो चुके हैं।

उपरोक्त वाद ग्रस्त भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण ने एक पारिवारिक राजीनामा (समझौता) निम्न प्रकार से तहरीर करवाया है कि रोही मौजा 1 आरएमजी जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 9/8 के कुल खसरे 45 का कुल क्षेत्रफल 8.096 है0 में से 5/16 हिस्सा व रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 11/11 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 8.096 है0 भूमि में से 37949/80960 हिस्सा भूमि जो वर्तमान में ख्यालीराम पुत्र जगराम के नाम दर्ज है जिसमें से 6/7 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है व शेष 1/7 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 84/77 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 8.1840 है0 भूमि में से 17/44 हिस्सा भूमि में से 5/6 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं शेष 1/6 हिस्सा भूमि में प्रतिवादीसंख्या 6 ता 7 ब0 हि0 ब0 काबिज है। तथा वादी मुताबिक राजीनामा उक्तानुसार न्यायालय से करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 6 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुनील कटारिया ने वकालतनामा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में पुरानी व नवीनतम जमाबंदी, सदस्य प्रमाण पत्र आदि पेश किये

उपस्थित अधिकारी
नोहर

जो की शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं० 8 परोकार राज ने जवाब स्टेट पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है। रोही मौजा रोही मौजा 1 आरएमजी जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 9/8 के कुल खसरे 45 का कुल क्षेत्रफल 8.096 है० में से 5/16 हिस्सा व रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 11/11 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 8.096 है० भूमि में से 37949/80960 हिस्सा भूमि जो कि ख्यालीराम पुत्र जगराम ने अपने नाम दर्ज भूमि में से 5/6 हिस्सा भूमि अपने पौत्रो मुकेश कुमार पुत्र रामचन्द्र, मांगीलाल पुत्र रणजीत, विवेक पुत्र सुरेन्द्र कुमार, रविकान्त पुत्र इन्द्राजराम व रूपराम पुत्र कृष्णलाल के ब० हि० ब० जरिये दानपत्र दिनांक 08.02.2023 को तहरीर करवा दिया था व शेष 1/6 हिस्सा भूमि अपने दो पौत्रों संदीप कुमार व मोहित स्वामी पुत्रगण देवेन्द्र सिंह के ब० हि० ब० जरिये दानपत्र दिनांक 08.02.2023 को तहरीर करवा दिया था जिससे ख्यालीराम पुत्र जगराम का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 उपरोक्त भूमि में ब० हि० ब० 5/6 हिस्सा के खातेदार काशतकार हो चुके हैं एवं 1/6 हिस्सा भूमि के प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 ब० हि० ब० के खातेदार काशतकार हो चुके हैं। वादी व प्रतिवादीगण ने एक पारिवारिक राजीनामा (समझौता) निम्न प्रकार से तहरीर करवाया है कि रोही मौजा 1 आरएमजी जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 9/8 के कुल खसरे 45 का कुल क्षेत्रफल 8.096 है० में से 5/16 हिस्सा व रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 11/11 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 8.096 है० भूमि में से 37949/80960 हिस्सा भूमि जो वर्तमान में ख्यालीराम पुत्र जगराम के नाम दर्ज है जिसमें से 6/7 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ब० हि० ब० काबिज है व शेष 1/7 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 ब० हि० ब० काबिज है एवं रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 84/77 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 8.1840 है० भूमि में से 17/44 हिस्सा भूमि में से 5/6 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ब० हि० ब० काबिज है एवं शेष 1/6 हिस्सा भूमि में प्रतिवादीसंख्या 6 ता 7 ब० हि० ब० काबिज है तथा वादी मुताबिक राजीनामा उक्तानुसार न्यायालय से करवा पाने का अधिकारी है। वादी के वाद के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा 1 आरएमजी

उपस्रष्ट अधिकारी
नोहर


जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 9/8 के कुल खसरे 45 का कुल क्षेत्रफल 8.096 है0 में से 5/16 हिस्सा व रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 11/11 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 8.096 है0 भूमि में से 37949/80960 हिस्सा भूमि वादी के दादा ख्याली पुत्र जगराम के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 84/77 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 8.1840 है0 भूमि में से 17/44 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक/दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी का कथन है कि ख्यालीराम पुत्र जगराम ने अपने नाम दर्ज भूमि में से 5/6 हिस्सा भूमि अपने पौत्रो मुकेश कुमार पुत्र रामचन्द्र, मांगीलाल पुत्र रणजीत, विवेक पुत्र सुरेन्द्र कुमार, रविकान्त पुत्र इन्द्राजराम व रूपराम पुत्र कृष्णलाल के ब0 हि0 ब0 जरिये दानपत्र दिनांक 08.02.2023 को तहरीर करवा दिया था व शेष 1/6 हिस्सा भूमि अपने दो पौत्रों संदीप कुमार व मोहित स्वामी पुत्रगण देवेन्द्र सिंह के ब0 हि0 ब0 जरिये दानपत्र दिनांक 08.02.2023 को तहरीर करवा दिया था जिससे ख्यालीराम पुत्र जगराम का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है वाद भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण ने एक पारिवारिक राजीनामा (समझौता) निम्न प्रकार से तहरीर करवाया है कि रोही मौजा 1 आरएमजी जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 9/8 के कुल खसरे 45 का कुल क्षेत्रफल 8.096 है0 में से 5/16 हिस्सा व रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 11/11 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 8.096 है0 भूमि में से 37949/80960 हिस्सा भूमि जो वर्तमान में ख्यालीराम पुत्र जगराम के नाम दर्ज है जिसमें से 6/7 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है व शेष 1/7 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 84/77 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 8.1840 है0 भूमि में से 17/44 हिस्सा भूमि में से 5/6 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं शेष 1/6 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 ब0 हि0 ब0 काबिज है वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 द्वारा स्वीकार किया गया है एवं वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 आरएमजी जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 9/8 के कुल खसरे 45 का कुल क्षेत्रफल 8.096 है0 में से 5/16 हिस्सा व रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के

जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 11/11 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 8.096 है0 भूमि में से 37949/80960 हिस्सा भूमि उपरोक्त दोनो खातो में ख्यालीराम पुत्र जगराम का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 6/7 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व शेष 1/7 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 84/77 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 8.1840 है0 भूमि में से 17/44 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 5/6 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं शेष 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/11/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 807/2023

अनवान : -

1. रूपराम पुत्र कृष्णलाल जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. मनीराम पुत्र ख्यालीराम जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. मांगीलाल पुत्र रणजीत जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. रविकान्त पुत्र इन्द्राजरराम जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. मुकेश कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. विवेक पुत्र सुरेन्द्र जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. संदीप कुमार पुत्र देवेन्द्र पुत्र ख्यालीराम जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
7. मोहित स्वामी पुत्र देवेन्द्र पुत्र ख्यालीराम जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 807 सन 2023 निर्णय दिनांक 21/12/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1 आरएमजी जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 9/8 के कुल खसरे 45 का कुल क्षेत्रफल 8.096 है० में से 5/16 हिस्सा व रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 11/11 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 8.096 है० भूमि में से 37949/80960 हिस्सा भूमि उपरोक्त दोनो खातो में ख्यालीराम पुत्र जगराम का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 6/7 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व शेष 1/7 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 के ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 84/77 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 8.1840 है० भूमि में से 17/44 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 5/6 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं शेष 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 के ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर